मुख्य न्यायधीश को लिखा पत्र

सेवा में माननीय न्यायाधीश एस. एल. वजीफदार, मुख्य न्यायधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़।

श्रीमान् जी, निवेदन है कि मैं अपने दो सहअभियुक्तों के साथ 24 अक्टूबर 2016 से नीमका जेल फ़रीदाबाद में कैद हूं। दिनांक 31-05-20.17 को न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र चौहान जब सुनवाई पूरी करके फैसले के निकट पहुंचे तो यकायक सुनवाई रोक दी गई तथा अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई दे दी गयी। मुझे बताया गया कि किसी ने आपके पास बेनामी शिकायत भेजी है जिसमें कहा गया है कि जज साहब को 25 लाख रुपये दे दिये गये हैं जिसके चलते तीनों अभियुक्तों की जमानत आज होने वाली है। इसी बेनामी एवं आधारहीन शिकायत का संज्ञान लेते हुए आपने सुनवाई बीच मे ही रूकवा दी। मुझे लगता है कि गुमनाम शिकायतकर्ता हमारे मामले की तमाम सुनवाईयों पर निगाह रखे हुए था। उसने 23 जुलाई की उस सुनवाई को अपनी शिकायत का आधार बनाया जिसमें जज साहब ने कहा था कि केस में तो सज़ा ही गलत हुई है। उन्होंने सरकारी वकील पर भी टिप्पणी की कि वे चुप क्यों खड़े हैं 31 मई को पूरी तरह तैयार होकर आये उस दिन वे फ़ैसला सुना देंगे। जाहिर है कि तथ्यों के आधार पर जज साहब हमारी सज़ा को गलत मान रहे थे और हमारे हक में कोई फ़ैसला देने वाले थे, बस इसी तथ्यों को आधार बनाते हुए हमारे किसी विरोधी ने उक्त गुमनाम शिकायत आपके पास भेजकर न्याय का हाईजैक कर लिया। वैसे प्रश्न चिन्ह तो न्यायमूर्ति श्री चौहान साहब की कार्यशैली पर भी लग सकता है । महीनों से कई पेशियों के बाद उन्हें 23 मई को ही समझ में आया कि हमारी सज़ा गलत हुई है। इसके बावजूद तुरंत कोई आदेश जारी करने के बजाए 31 मई लगा दी अगली सुनवाई हेतु। लेकिन इस सब के लिये हम कैसे दोषी हुए जो बिना बात जेल भुगत रहे हैं। यदि इस तरह से न्याय का हाईजैक होने दिया जायेगा तो यह एक गलत प्रथा बन जायेगी और कोई भी अपने विरोधी को फ़ंसाये रखने के लिए इस तरह की निराधार शिकायत भेज कर सारी न्यायिक प्रक्रिया को पलट देगा। बिना सिर-पैर की ऐसी शिकायतों से जहां हम जैसे बेकसूर लोग प्रभावित होते है वहीं माननीय जजों की साख पर भी बट्टा लगता है। इसलिये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बिना किसी ठोस सबूत के आने वाली गुमनाम शिकायतों पर ध्यान न दिया जाय।

2-श्रीमान् जी, जब आपने इस मामले का संज्ञान ले ही लिया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे मामले को आप स्वंय देखने की कृपा करें। इस मामले में आपको बड़े रोचक तथ्य देखने को मिलेगें। आई.पी.सी. की धारा 420, 467, 468 व 471, 120, बी तथा पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 के अर्न्तगत दर्ज हुई इस एफ़आईआर को जब डीसीपी की पेशी में लगाया गया तो उन्होंने तुरंत मीमो लिखवा दिया कि इस मामले में लगाई गयी उक्त सभी धारायें गलत हैं, इसमें अधिक से अधिक आईपीसी की धारा 406 लगाई जा सकती थी। तफतीशी अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि वह उचित धाराओं का प्रयोग करें तथा भविष्य में कोई भी अभियोग दर्ज़ करते समय इस बात का ध्यान रखे। डी.सी.पी.ने यह भी लिखा है कि गिरफ़्तारी से पूर्व तमाम सबूत एकत्र किये जायें। इसके विपरीत तफतीशी अधिकारियों ने एक गिर.फ़्तारी तो एफ़आईआर दर्ज करने से पहले ही कर ली थी, शेष दो ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। डीसीपी की हिदायत की परवाह न करते हुए तफतीशी अधिकारी ने उन्हीं गलत धाराओं में चालान कोर्ट में भेजा। अन्तिम निर्णय से पूर्व यह एफ़आईआर कम से कम तीन अतिरिक्त सेशन जजों के सामने से गुजरी, लेकिन किसी ने भी केस में लगी धाराओं के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया। अन्तिम फैसला देते समय ट्रायल कोर्ट ने बताया कि इस केस में पीसी एक्ट नहीं बनता है और ना ही धारा 420 व 468 आई.पी.सी. बनती है। जो बात डीसीपी ने एफ़आईआर पढ़ते ही लिख दी थी उसे समझने में विद्वान जजों को चार साल लगे। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जब आपने संज्ञान ले ही लिया है तो इस मामले को इसके सही अंजाम तक भी पहुंचाने की कृपा करें, यानी जिसने भी उक्त रिश्वत का लेन-देन किया है उसे कड़ी सज़ा दी जाय, अन्यथा झूठी शिकायत करने वाले को पकड़ा जाये।

3-श्रीमान् जी, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं। गत 30 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' नामक एक पाक्षिक अखबार चला रहा हूं। इसके माध्यम से मैं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष चलाता आ रहा हूं। इसके चलते भ्रष्ट सरकारों के भ्रष्ट अधिकारी मेरे विरुद्ध मोर्चा खोले रहते हैं। मेरे विरुद्ध अनेकों झूठे मुकदमें दर्ज होते रहे हैं। चौटाला राज में तो एक के बाद एक लगातार 5 मुकदमें दर्ज हुए। आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत दर्ज एक मुकदमें में 58 दिन तक जेल में रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल से जमानत हुई थी। मुकदमें में कुछ था ही नहीं इसलिए बरी हुआ। इसके बाद आईपीसी के धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो तत्कालीन हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल ने अग्रिम जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट ने मात्र दो पेशियों के बाद डिस्चार्य कर दिया। एक मुकदमा एस.सी.एस.टी. व आई पी.सी. की धारा 353 व 332 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता और कोई नहीं डी. एस.पी. का रीडर एक हवलदार था और तफतीशी खुद डी.एस.पी. बन गया। इस केस में दो सप्ताह जेल में रहने के बाद जमानत हुई। जब तक केस ट्रायल कोर्ट पहुंचा सरकार बदल गयी तो पुलिस भी बदल गयी। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दोबारा तफतीश हुई तो कोई गवाह सामने नहीं आया। खुद पुलिस वालों ने मेरे हक में गवाहियां दी। एफ़.आई.आर. कैंसिल करके कोर्ट भेजी गयी और आवश्यक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया। इन सभी झूठे केसों को लेकर मेरे द्वारा आपके हाईकोर्ट में डाली गई याचिका अभी तक लम्बित है।

4-श्रीमान् जी, एक मामूली परन्तु संघर्षशील पत्रकार मैं जरूर हूं, परन्तु इतना बड़ा अमीर नहीं कि जजों को रिश्वत देने की बात सोच सकूं। रिश्वत की बात तो छोड़िये, मेरे पास तो वकील की फीस देने को भी कुछ नहीं होता। यह तो वकील दोस्तों की मेहरबानी है जो मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझसे कभी फीस की उम्मीद भी नहीं करते, बल्कि समय समय पर मेरी सहायता भी करते हैं। इन्हीं दोस्तों के चलते ज़िला स्तर से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मैंने कभी किसी वकील को फ़ीस नहीं दी।

5-आपराधिक न्याय व्यवस्था में आज एक बड़ा संकट जजों की साख को लेकर भी खड़ा हो गया है। देखने में आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट चार्ज की स्टेज पर चार्ज न बनते हुए भी केवल इसलिए चार्ज लगा देते हैं कि कहीं कोई यह न कह दे कि जज ने रिश्वत ले ली है। यही हाल कई बार जमानत व अन्तिम निर्णय देते वक्त भी होता है। अर्थात् अपनी साख एवं ईमानदार छवि दिखाने के लिये भी निर्दोषों को रगड़ा लगा दिया जाता है।

अन्त में मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस पत्र का भी संज्ञान लेने की कृपा करके उचित कार्यवाही करके कृतार्थ करें।

धन्यवाद। दिनांक

प्रार्थी

सतीश कुमार पुत्र स्व. श्री निरंजन सिंह,
हाल पता-नीमका जेल, स्थाई पता
मकान नं. 708, सैक्टर-14,
फ़रीदाबाद-121007, मोबाईल नं.
9999595632।

दोस्तो! हम अभी जिंदा हैं !...

पेज एक का शेष

कम्पनी (क्रेता) की ओर से तहसील में जाकर मैंने दस्तखत किये थे बतौर कम्पनी प्रतिनिधि । रजिस्ट्री के आधार पर, 'हूडा' नियमों के अनुसार प्लाट को 'हूडा' रिकार्ड में मित्तल की कम्पनी के नाम पर चढा दिया गया।

यह सब हो जाने के बाद एन के शर्मा नामक एक व्यक्ति जो कभी एन एच-3 स्थित एक डी ए वी संस्थान का डायरेक्टर था, (जिसे बाद में डी ए वी मैनेजमेंट ने करोड़ों के गबन मामले में नौकरी से हटा भी दिया था)ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर शत्रुजीत कपूर से सांठगांठ करके एफ़आईआर दर्ज कराई कि 'उसके' प्लाट पर धोखा-धड़ी से कब्जा हो गया है। जबकि प्लाट की मिलकियत से उसका कहीं दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उक्त एफ़आईआर एक जालसाजी होते हुए भी शत्रुजीत कपूर के दबाव में दर्ज हुई थी। चार साल चले मुकदमे की सुनवाई के दौरान न तो कभी प्लाट का बेनामी मालिक एन के शर्मा बयान देने आया और न ही असल मालिक नरूला बयान देने आया। बल्कि नरूला ने आस्ट्रेलिया से अपना हस्ताक्षरित एवं सत्यापित शपथपत्र भेजा कि वह स्वयं अकेला इस प्लाट का मालिक है। उसने प्लाट की पूरी कीमत वसूल कर मित्तल को बेच दिया है, वह इसका जो चाहे करे। बयान देने कोर्ट में नहीं आयेगा, उसके इसी शपथपत्र को बयान समझा जाये।

इस सबके बावजूद आपराधिक न्याय व्यवस्था ने तीन निर्दोषों को सज़ा पकड़ा दी। अशोक मित्तल को 10 वर्ष और मुझे व 'हूडा' के सरकारी वकील भले राम श्योराण को 7-7 वर्ष की सज़ा सुना कर, 24 अक्टूबर, 2016 को अदालत से सीधे जेल भेज दिया गया।

विकल्पहीनता का संकट

- मनोज कुमार झा

तीन साल के शासन के दौरान मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफ्ल साबित हुई है। अर्थव्यवस्था हो या विदेशी संबंध या आंतरिक मामले, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें इस सरकार की कोई उपलब्धि रही है। हर क्षेत्र में परिस्थितियां विकट ही होती चली गई हैं। पाकिस्तान और चीन से संबंध बहुत बुरे हो गए हैं, वहीं कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते ही चले गए। मोदी सरकार परिस्थितियों पर काबू पाने में पूरी तरह असफ्ल रही।

नोटबंदी लागू कर मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। इससे जो क्षति हुई है, इसका आंकलन अलग-अलग देशी विदेशी अर्थशास्त्रियों और एजेंसियों ने किया है। कई विश्लेषकों ने इसे भावी विकास के लिए बहुत ही घातक बताया। इससे विकास दर में कमी आ गई, लेकिन मोदी सरकार ने इससे कोई सबक लेने के बजाय जीएसटी लागू कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे छोटे और मझोले व्यापारियों की कमर टूट जायेगी। साथ ही, उद्योग धंधों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने भी नोटबंदी और जीएटी लागू करने के बारे में सोचा था, पर सलाहकारों की राय मानकर इसे मुल्तवी कर दिया, लेकिन मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि यह सही सलाह देने वालों को रूखसत कर देती है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गर्वनर की हालत ये है कि उन्हें संसदीय कमेटियों के सामने जवाब देते नहीं बनता, वहीं नीति आयोग (योजना आयेाग का बदला नाम) के प्रमुख पनगढ़िया ने पद छोड़ना ही सही समझा। कुल मिलाकर सरकार जैसी नीतियों पर चल रही है, उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती ही माना जा रहा है। कई अर्न्तराष्ट्रीय मीडिया विश्लेषकों ने माना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मोदी सरकार की साख घटी है। लेकिन देश के चंद कारपोरेट घरानों के हित में मोदी सरकार सभी सलाहों को अनदेखा करते हुए मनमानी पर उतारू है।

यही नहीं, सरकार की अन्य नीतियां भी पूरी तरह से समाज में विघटन पैदा करने वाली हैं। सामाजिक ताना-बाना टूटता चला जा रहा है। सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भड़काऊ अभियानों की वजह से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और भय की भावना व्यापत हो गई है। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संघ परिवार ने कई अभियान चलाए घर वापसी से लेकर गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं की जाने लगीं। उत्तरप्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद योगी आदित्य नाथ मुख्यमंत्री बने। इनकी गतिविधियां पहले से ही अल्पसंख्यक विरोधी रही है। सत्ता में आते ही इन्होंने हिन्दू रक्षा वाहिनी का पुर्नगठन किया। इसके साथ एंटी रोमियों दलों का गठन कर उत्पाती तत्वों को बढ़ावा दिया। आज स्थिति ये है कि पूरे देश के साथ यूपी में कानून व्यवस्था की हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई है, लेकिन न कोई सुनने, न कोई देखने वाला। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां आरएएस और दूसरे हिन्दूवादी संगठन खुलकर गुंडागर्दी मचा रहे हैं और उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्री तक आपत्तिजनक ब्यान देते हैं। जब गौ-गुंडों ने ज्यादा ही आंतक फैलाना शुरू किया और सरकार की काफी बदनामी होने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी निंदा कर दी, लेकिन कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कहीं बावजूद इसके गौ गुंडों का आंतक जारी है और कोई भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है।

खास बात ये है कि तमाम विघटनकारी गतिविधियों के बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ विरोधी पार्टियों की किसी तरह की एकजुटता या आंदोलनात्मक गतिविधियां नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ बिहार जहां चुनाव में भाजपा के खिलाफ जनादेश मिला था और जदूय, राजद व कांग्रेस का महागठबंधन सत्ता में आया था, वहां भी भाजपा ने सेंध लगा दी। साजिश के तहत नीतिश कुमार ने इस्तीफा दिया और दूसरे ही दिन भाजपा के समर्थन से फिर गद्दी पर भी बैठ गए। लालू और कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर सका। दशकों तक कांग्रेस का समर्थन कर सत्ता की मलाई हड़पने वाले कम्यूनिस्ट भी अब पूरी तरह अलग थलग पड़ गए है। प्रकाश करात के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर किसी भी तरह का गठबंधन करने से इंकार कर दिया। कतिपय वाम विचारकों व राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि माकपा की यह नीति भाजपा के विरूद्ध एक व्यापक मोर्चा बनाने के प्रयास में बाधक साबित होगी। पर सवाल ये है कि भाजपा के खिलाफ कोई मोर्चा बनता दिख कहां रहा है। कांग्रेस कमजोर होने के साथ नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। लालू के साथ नीतिश ने विश्वासघात किया और अब वे कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। शरद यादव जैसे नेता जो लालू के साथ है, वे भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं है। मुलायम, मायावती आदि रीढ़विहिन हैं और उनका हश्र सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता की सत्ता में भी सेंध लगाने की तैयारी संघ के रणनीतिकार कर रहे है। यद्यपि राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में अमित शाह की चाल सफ्ल नहीं हो सकी और इसे भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है, पर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को अभी कोई चुनौती दरपेश नहीं है। भाजपा का मार्ग निष्कंटक है।

भूलना नही होगा कि विकल्पहीनता के शून्य से ही भाजपा का उभार हुआ है और वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकी। भाजपा के विरूद्ध यदि पहले ही कोई मोर्चा बना होता तो आज मोदी सत्ता में नहीं होता। मोदी का विरोध बाहर ही नहीं, भाजपा के अंदर भी है। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सभी विरोधियों को ठिकाने लगाकर भाजपा को हाईजैक कर लिया है। ये साम-दाम-दंड-भेद हर नीति अपना कर पार्टी के अंदर और बाहर के अपने विरोधियों से निपट रहे हैं। इनके सामने 2019 का आम चुनाव जीतने का लक्ष्य है। लेकिन दूसरे दलों में आगत चुनाव को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट दिखाई नहीं पड़ रही है, न ही इस तरह के कोई संकेत मिल रहे हैं कि विरोधी दल किसी विकल्प का निर्माण कर सकेंगे।